

संख्या - 5 पी० (1) नि० 23/2014 प०पा० ... 84 आ०

पशुपालन निदेशालय
झारखंड, राँची।

राँची, दिनांक 20/01/2023

प्रेषक,

शशि प्रकाश झा, भा०प्र०से०,
निदेशक, पशुपालन।

सेवा में,

जिला पशुपालन पदाधिकारी,
जामताड़ा।

विषय :- वित्तीय वर्ष 2022-23 में अन्य क्षेत्रीय उपयोजनान्तर्गत पशु अस्पताल शीर्ष से राजकीय पशु शल्य चिकित्सालय, जामताड़ा एवं अवर प्रमण्डल पशुपालन कार्यालय, जामताड़ा के भवन निर्माण कार्य हेतु प्राप्त तकनीकी स्वीकृति प्राक्कलन के आधार पर कुल राशि रु० 1,12,67,800/- (एक करोड़ बारह लाख सड़सठ हजार आठ सौ रुपये) मात्र का उप-आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक वित्तीय वर्ष 2022-23 में विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या - 37 रा० (वि०) दिनांक - 06.01.2023 (ऑन लाईन स्वीकृत्यादेश संख्या - 1973) द्वारा योजना की स्वीकृति किये जाने के फलस्वरूप विभागीय आवंटनादेश संख्या - 56 आ० (वि०) दिनांक - 10.01.2023 (विभागीय ऑन लाईन आवंटन संख्या - 3425 के अनुसार) कुल रु० 1,12,67,800/- (एक करोड़ बारह लाख सड़सठ हजार आठ सौ रुपये) मात्र का आवंटन स्वीकृत किया गया है। इस क्रम में पशुपालन निदेशालय द्वारा योजना के कार्यान्वयन हेतु ऑन लाईन आवंटन पत्र संख्या - 23/2014 (S)/41SP22-23 दिनांक - 13.01.2023 द्वारा रु० 1,12,67,800/- (एक करोड़ बारह लाख सड़सठ हजार आठ सौ रुपये) मात्र का उप-आवंटन स्वीकृत किया जाता है।

2. राज्यादेश एवं आवंटनादेश का अक्षरशः पालन किया जाय।
3. इस योजना के अन्तर्गत स्वीकृत राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी राशि की निकासी कर संबंधित कार्यपालक अभियंता, भवन निर्माण विभाग को पुस्तान्तरित (Book Transfer)/बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से जमा करायेंगे।
4. इस राशि का व्यय वित्तीय वर्ष 2022-23 में ऑन लाईन आवंटन आदेश पत्र संख्या - 23/2014 (S)/41SP22-23 दिनांक - 13.01.2023 के आय व्ययक शीर्ष अन्तर्गत आवंटित राशि से विकलनीय होगा।
5. (क) यह आवंटन वित्त विभाग, झारखण्ड के पत्रांक - 29/बी.टी.ई.-11/ 2021-22/ 245/बजट दिनांक-30.03.2022 के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।




15/01

- (ख) आवंटित राशि वित्त विभाग के परिपत्र संख्या – 2561/वि० (2) दिनांक-17.04.1998 वित्त विभाग के पत्रांक – 1800/वि०, दिनांक-15.07.2003 एवं पत्रांक-533 (वि०) दिनांक – 03.03.2004 में निहित प्रावधान के अन्तर्गत एवं परिपत्र के आलोक में राशि की निकासी की जाय।
- (ग) आवंटित राशि से अधिक का व्यय किसी भी परिस्थिति में नहीं किया जाय।
- (घ) झारखण्ड कोषागार संहिता के नियम – 174 का सख्ती से पालन किया जाय।
6. आवंटित राशि की व्यय विवरणी प्रत्येक अगले माह के 15 तारीख तक टी०भी० नं० एवं तिथि के साथ विभाग को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराये।
 7. कोषागार में प्रस्तुत किये जानेवाले सभी विपत्रों पर विपत्र कोड एवं मुख्य शीर्ष/लघु शीर्ष/उप शीर्ष/प्राथमिक इकाई आदि की मुहर स्पष्ट रूप से अंकित किया जाय ताकि महालेखाकार के कार्यालय में हिसाब ठीक से रखा जा सके एवं मिलान करने में दिक्कत न हो। वर्ष के प्रत्येक तिमाही का नियमित लेखा मिलान कर त्रुटि निराकरण करना संबंधित DDO का दायित्व होगा।
 8. आवंटित राशि का व्यय वित्तीय नियमावली भाग 1 के नियम 475 में किये गये निदेश के आलोक में किया जाय। इसके साथ ही कोषागार संहिता/वित्तीय नियमावली/बजट मैनुअल तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में निहित प्रावधानों तथा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत अनुदेशों का दृढ़तापूर्वक पालन किया जाय।
 9. स्वीकृत राशि का दुर्विनियोग, विचलन तथा अनियमित निकासी व व्यय के लिए संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उत्तरदायी होंगे।
 10. यह सुनिश्चित किया जाय कि कभी भी योजना में बिना पूर्वानुमति के प्रशासनिक स्वीकृति की राशि से अधिक का व्यय न हो।
 11. राशि की निकासी एवं व्ययन के पूर्व पूरी तरह संतुष्ट हो लें कि कार्य की डुप्लीकेटिंग तो नहीं हो रही है। यदि इस प्रयोजन हेतु अन्य स्रोत (जिला/अन्य विभाग/योजना) से राशि प्राप्त हो रही हो, तो इस राशि की निकासी न की जाय तथा इसकी सूचना शीघ्र अधोहस्ताक्षरी को दी जाय।
 12. कार्यो का भौतिक/वित्तीय उपलब्धि प्रतिवेदन प्रतिमाह 15 तारीख तक निदेशक, पशुपालन, झारखण्ड, राँची को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय।

विश्वासभाजन

निदेशक, पशुपालन

ज्ञापांक :- 84 राँची, दिनांक 20/01/2023

प्रतिलिपि :- मुख्य महालेखाकार (वन एवं लेखा), झारखण्ड, राँची को अनुलग्नक की प्रति के साथ उनके पत्र संख्या – 57-96-97 प०पा० – 9 – 46 दिनांक – 02.08.96 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक, पशुपालन

कोषागार पदा० ज्ञापांक :- ८४ आ० रांची, दिनांक २०/०१/२०२३

को निबंधित प्रतिलिपि :- संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित उपायुक्त/उप-सचिव, वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची/विभागीय आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (पशुपालन प्रभाग), झारखण्ड, राँची/संबंधित कोषागार पदाधिकारी/सहायक निदेशक (सांख्यिकी), कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (पशुपालन प्रभाग), झारखण्ड, राँची को अलग संधारण हेतु/प्रशाखा पदाधिकारी - १/२/३/४/५ एवं ६ तथा संबंधित सहायक, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (पशुपालन प्रभाग), झारखण्ड, राँची को तीन (३) अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक, पशुपालन

ज्ञापांक :- ८४ आ० रांची, दिनांक २०/०१/२०२३

प्रतिलिपि :- सचिव, भवन निर्माण विभाग, प्रोजेक्ट भवन, राँची/प्रबंध निदेशक, राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड, झारखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक, पशुपालन

ज्ञापांक :- ८४ आ० रांची, दिनांक २०/०१/२०२३

प्रतिलिपि :- डॉ० शिव कुमार वर्मा, नोडल पदाधिकारी, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, झारखण्ड, राँची को झारखण्ड सरकार के पोर्टल (www.jharkhand.gov.in) पर अद्यतन सूचनाएँ अपलोड करने हेतु प्रेषित।

निदेशक, पशुपालन



आवंटन आदेश

84 आठ
20/01/2023

झारखंड सरकार

Agriculture, Animal Husbandry and Co-operative Department (Animal Husbandry)

चाहू वित्तीय वर्ष 2022-23 में व्यय हेतु निम्नांकित दर्शाए गए बजट शीर्ष के सामने अंकित राशि आवंटित की जाती है

पत्र संख्या - 23/2014 (SP)/41SP22-23

दिनांक - 13-Jan-2023

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
1	S 02 44030010107010545 4403 - पशु पालन पर पूंजीगत परिव्यय 00 - पशु पालन पर पूंजीगत परिव्यय 101 - पशु चिकित्सा सेवा तथा पशु स्वास्थ्य 07 - पशु औषधालयों का आधुनिकीकरण 01-424 ब्लॉक स्तर पशु चिकित्सा अस्पतालों और 24 जिला स्तर पशु चिकित्सा अस्पतालों और मॉडल राज्य पशु चिकित्सा अस्पताल (24x7) हेसाग, शुद्धी प्रदान का आधारभूत विकास State Scheme	75020	JMTAHY004 DR.VIDYA SAGAR. D.A.H.O.JAMTARA	11,267,800.00 रुपये एक करोड बारह लाख सड़सठ हजार आठ सौ
	State Scheme : VET POLYCLINIC - REFERRAL - MODERNIZATION OF HOSPITAL DISPENSARIES (CAPITAL)(0863) Central Scheme : NA			



योग: 11,267,800.00
रुपये एक करोड बारह लाख सड़सठ हजार आठ सौ

क्रमिक योग:

(Handwritten signature)

(SHASHI PRAKASH JHA, I.A.S.)
DIRECTOR

84 आ०
20/01/2023

वित्तीय वर्ष 2022-23 में आवंटित राशि की विवरणी :-

माँग सं० - 02 कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (पशुपालन प्रभाग)

मुख्य शीर्ष-4403 - पशु पालन पर पूंजीगत परिव्यय & 101 - पशु चिकित्सा सेवा तथा पशु स्वास्थ्य & 07 - पशु
औषधालयों का आधुनिकीकरण

Sl No	TREASURY	DDO CODE	DDO NAME	DDO DESG	02S44030010107010545	Total
					निर्माण कार्य	
1	2	3	4	5	6	7
1	Jamtara	JMTAHY004	Dr. Vidya Sagar.	D.A.H.O.Jamtara	₹1,12,67,800.00 (75020)	₹1,12,67,800.00

कुल आवंटित राशि :- ₹1,12,67,800.00 (एक करोड बारह लाख सड़सठ हजार आठ सौ) रूपये मात्र ।

टिप्पणी :- (#) को आवंटन ऐक्सेस नंबर समझा जाए




(SHASHI PRANASH JHA, I.A.S.)
DIRECTOR